भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2177

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की समय पर उपलब्धता

2177. श्री अमरा राम:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में किसानों को यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की समय पर उपलब्धता का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों पर दी गई राजसहायता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार देश में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष योजना को लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और इसके क्या परिणाम हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

ii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iii. यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। मौसम के लिए समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात को काफी पहले अंतिम रूप दे दिया जाता है।

iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

v. रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें होती हैं ताकि रेल मंत्रालय राज्यों को पर्याप्त रैक दे, उर्वरकों को प्राथमिकता दे और रैकों की समय पर निकासी करवाए।

vi. राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 (अर्थात दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 26.07.2026 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन उर्वरकों की उपलब्धता, आवश्यकता और बिक्री से संबंधित सूचना **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के उर्वरकों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर जारी की जाती है। यह सब्सिडी प्रत्येक खुदरा विक्रय केंद्र पर स्थापित पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के उपरांत संवितरित की जाती है। तदनुसार, सभी किसानों को बिना किसी मनाही के आधार पर सब्सिडी युक्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। चूँकि सब्सिडी की धनराशि का आवंटन अथवा संवितरण जिला-वार या राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता, इसलिए इस प्रकार का कोई आँकड़ा पृथक रूप से नहीं रखा जाता। गत पाँच वर्षों, अर्थात् वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक, भारत सरकार द्वारा संवितरित कुल उर्वरक सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है :

					आंकड़े करोड़ रुपये में
वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
संवितरित राशि	**157640.09**	**254798.93**	**195420.51**	**177129.50**	**217175.73**

(ग): सरकार देश में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रही है। तथापि, देश भर के किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

- नैनो यूरिया के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविरों, वेबिनार, क्षेत्र प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

- संबंधित कंपनियों द्वारा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों के पर्णीय छिड़काव के माध्यम से उनके उपयोग एवं अनुप्रयोग को सरल बनाने के उद्देश्य से 'किसान ड्रोन' जैसे अभिनव छिड़काव विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा खुदरा विक्रय केंद्रों पर बैटरी चालित स्प्रेयरों का वितरण किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण तथा कस्टम हायरिंग आधारित छिड़काव सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

क. राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय:

- गुजरात सरकार इन उन्नत उर्वरकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष सहायता पहल के तहत किसानों को नैनो उर्वरकों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है।
- राजस्थान सरकार नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिए छिड़काव लागत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है।
- उत्तराखंड राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं एटीएमए, एनएफएसएम तथा मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता और राज्य प्रायोजित स्कीमों (मुख्यमंत्री राज्य विकास स्कीम तथा राज्य अन्नश्री (मिलेट) नीति) के अंतर्गत प्रदर्शनों में नैनो उर्वरकों के उपयोग को अनिवार्य किया है।
- ओडिशा राज्य सरकार अपनी निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है -

क्र.सं.	**स्कीम**	**क्षेत्र (हेक्टेयर में)**	**नैनो उर्वरक**	**प्रोत्साहन (रु. /हेक्टेयर)**
1	एनएफ़एसएनएम (खाद्य अनाज) 2026-27	4126	नैनो यूरिया	500
		2093	नैनो डीएपी	1000
2	दालों में आत्मनिर्भरता मिशन 2026-27	15625	नैनो डीएपी	1000
3	मुख्यमंत्री माका मिशन (राज्य योजना) 2026-27	9000	नैनो डीएपी	1000
		1500	नैनो यूरिया	1000
		50	नैनो यूरिया	500
4	कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (राज्य योजना) 2026-27	5000	नैनो डीएपी	1200
5	आईएपी पल्स (राज्य योजना)	7590	नैनो डीएपी	1000

ख. नैनो उर्वरक उत्पादकों द्वारा किए गए उपाय:

- नैनो उर्वरक उत्पादकों ने प्रमुख कृषि राज्यों में नैनो उर्वरकों के अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक जागरूकता और प्रचार गतिविधियां शुरू की हैं। इनमें किसानों की बैठकें, फसल सेमिनार, फील्ड प्रदर्शन, फील्ड दिवस और उत्पाद के उपयोग, पोषक तत्वों की दक्षता, लागत लाभ और फसल प्रदर्शन के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संस्थागत परीक्षण शामिल हैं।
- नैनो उर्वरक उत्पादकों ने नैनो उर्वरकों के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रसार कार्यकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और अन्य हितधारकों के लिए अनुसंधान, फील्ड परीक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि विभागों के साथ भी भागीदारी की है।
- जागरूकता को और बढ़ाने के लिए, कंपनियों ने टेलीविजन अभियान, किसान मेलों, कृषि प्रदर्शनियों, भित्ति चित्रों, होर्डिंग, डीलर प्रदर्शन, मोबाइल अभियान, मुद्रित साहित्य और यूट्यूब और फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। किसान गोष्ठियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा गतिविधियों और ग्राम-स्तरीय अभियानों सहित विशेष जनसंपर्क (आउटरीच) कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।
- इफको और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएल) जैसे उत्पादकों ने सूचित किया है कि बातचीत और साक्ष्यों के माध्यम से किसानों की प्रतिक्रिया एकत्र की गई है। कंपनियों के अनुसार, किसानों ने आम तौर पर नैनो उर्वरकों को लेकर सकारात्मक अनुभव दर्ज किए हैं और उनका उपयोग जारी रखने की इच्छा दिखाई है।.

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2177 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

मौजूदा खरीफ़ 2026 (01.04.26 से 26.07.26 तक) के दौरान राज्यों के अनुसार उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
क्रम.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 26.07.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 26.07.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 26.07.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 26.07.26 तक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.64	6.64	2.80	3.84	0.78	1.73	0.84	0.89	0.39	0.73	0.32	0.42	2.10	6.65	2.70	3.96
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.32	2.12	1.71	0.41	0.20	0.41	0.27	0.14	0.14	0.43	0.20	0.22	0.14	0.28	0.11	0.18
5	बिहार	4.62	8.15	3.56	4.60	1.59	2.29	0.92	1.37	0.84	0.83	0.13	0.70	1.88	3.28	0.75	2.53
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	5.88	7.48	5.20	2.28	2.49	1.98	1.45	0.53	0.63	0.82	0.52	0.30	2.00	2.30	1.61	0.70
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.09	0.08	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00
12	गुजरात	6.20	8.55	5.93	2.62	2.54	2.28	1.64	0.65	0.31	0.41	0.21	0.20	3.42	4.26	2.35	1.91
13	हरियाणा	6.38	9.89	7.77	2.13	1.30	1.63	1.20	0.44	0.42	0.38	0.14	0.24	0.33	0.43	0.16	0.27
14	हिमाचल प्रदेश	0.17	0.42	0.28	0.15	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.09	0.09	0.06	0.03
15	जम्मू और कश्मीर	0.60	1.15	0.78	0.36	0.18	0.29	0.19	0.10	0.08	0.15	0.11	0.04	0.01	0.06	0.02	0.04
16	झारखंड	1.44	2.15	1.09	1.06	0.43	0.41	0.25	0.16	0.04	0.06	0.01	0.05	0.53	0.60	0.28	0.31
17	कर्नाटक	6.58	8.93	4.85	4.08	2.76	3.27	2.38	0.89	1.33	1.60	0.80	0.81	7.61	12.42	7.13	5.30
18	केरल	0.32	0.66	0.41	0.25	0.07	0.18	0.10	0.08	0.22	0.44	0.30	0.15	0.52	0.59	0.34	0.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	10.42	14.99	9.65	5.34	3.34	3.37	2.30	1.07	0.78	0.61	0.28	0.33	4.38	6.78	3.67	3.12
21	महाराष्ट्र	10.32	14.56	9.35	5.21	3.47	3.70	2.69	1.01	0.88	1.83	0.89	0.94	11.96	21.74	12.19	9.55
22	मणिपुर	0.11	0.18	0.12	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	2.97	4.29	1.93	2.36	1.33	1.60	0.91	0.70	0.59	0.79	0.24	0.55	1.82	2.28	0.94	1.34
27	पुदुचेरी	0.04	0.06	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.02
28	पंजाब	12.10	15.47	12.29	3.18	1.55	2.45	1.37	1.08	0.58	0.64	0.22	0.42	0.49	0.50	0.19	0.31
29	राजस्थान	6.42	10.97	7.65	3.32	3.07	2.66	1.99	0.66	0.05	0.14	0.05	0.09	0.74	1.39	0.67	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.72	4.66	3.01	1.65	0.80	1.10	0.59	0.51	0.61	0.72	0.41	0.31	2.72	3.86	2.04	1.82
32	तेलंगाना	7.26	7.88	4.27	3.61	2.04	1.93	1.62	0.31	0.57	0.54	0.15	0.39	7.18	7.68	4.49	3.18
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
34	उत्तराखंड	0.71	0.96	0.74	0.22	0.15	0.30	0.15	0.15	0.04	0.05	0.01	0.05	0.12	0.04	0.02	0.02
35	उत्तर प्रदेश	25.04	35.11	19.97	15.14	5.29	8.80	3.88	4.93	1.51	1.38	0.24	1.13	2.09	6.42	1.41	5.02
36	पश्चिम बंगाल	3.45	7.48	3.48	4.00	0.83	1.38	0.60	0.79	0.81	1.52	0.41	1.11	2.13	5.76	1.91	3.86
	अखिल भारत	**118.81**	**173.06**	**107.07**	**66.01**	**34.28**	**41.90**	**25.40**	**16.50**	**10.86**	**14.14**	**5.65**	**8.51**	**52.34**	**87.57**	**43.09**	**44.48**

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री